न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 3/2023

1 भंवरी उर्फ सुनिता पुत्री बद्री नारायण पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 उदयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 रामचन्द्र पुत्र बद्री नारायण जाति जाट निवासी बालूराम कम्पाउण्डर की गली देवीपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुवा देवी पत्नी भंवरलाल जाति कुमावत निवासी दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी
धारा 151 सीपीसी बाबत पुनः सुनवाई करने
अपील मुकदमा नम्बर 115/2018 बउनवानी
सुवा देवी बनाम कमला देवी आदि।

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 1-4-23

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 115/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/अप्रार्थी सुवा देवी ने एक अपील संख्या 115/2018 प्रार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्व ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2281,2455,2457,2458,2459,2478 कुल किता 6 कुल रकबा 2.87 हैक्टेयर के बाबत मुकदमा नम्बर 726/99 डिक्री में मुकदमा नम्बर 729/99 अंकित है उनवानी कमला बनाम रामन्द्र आदि सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के फैसले का निरस्त करने हेतु 18 वर्ष बाद में पेश की थी अपीलांट ने यह भी कहा कि वह रामचन्द्र की जायंदा पुत्री है और जमीन मकान में हिस्सा लेने ही हकदार है। अपीलांट/अप्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ए.डी.जे. सीकर के यहां मुकदमा नम्बर 99/2005 बीटी नम्बर 154/05 में अनुतोष नहीं मिलने पर विचारण न्यायालय में अपील पेश की है। यह जानते हुए कि विवाह के बाद प्रार्थी संख्या 2 ससूराल रहती है फिर भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ने ससूराल में अपील के समन तामील हेतु नहीं भेजा बल्कि खाटूश्यामजी के पते पर रजिस्ट्री से तामिल कराने का नाटक रचा व प्रार्थी संख्या 2 सीकर रहता है भाईयों से अलग है, खाटूश्यामजी नहीं रहता है। अपीलांट/अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के भाई रामेश्वर व सांवरमल से सांठ गांठ कर हम प्रार्थीगण को पिताजी की सम्पति से महरूम करने की बदनियती पूर्ण इरादे से समन गलत पते पर भिजवाये तथा आपसी सांठ गांठ के कारण ही समन हम प्रार्थीगण को समन रजिस्ट्री से गलत पते पर भिजवाये जो हमारे को नहीं मिले और न ही हमें कोई सूचना मिली। इस कारण हम प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके इस कारण हमारे विरूद्व में एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलांट के हक में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील एकतरफा में निर्णय/डिक्री दिनांक 20.12.2022 को कर दी गयी। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदन प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी सुवा देवी जरिये वकील उपस्थित हुई। अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में प्रार्थीगण रामचन्द्र एंव भंवरी उर्फ सुनिता का पता खाटूश्यामजी का अंकित किया गया है जबकि रामचन्द्र हाल आबाद देवी पुरा सीकर है एवं भंवरी उर्फ सुनिता हाल आबाद उदयपुरा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रार्थीगण को सम्यक तामील नही हुये है। प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। अत आवेदन स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1995 मध्यप्रदेश पेज 200, ए.आई.आर. 1983 सुप्रिम कोर्ट पेज 318, ए.आई.आर. 2000 मद्रास पेज 190 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा निर्णित अपील में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 से व 11 से 13 तथा 15,16 भी पक्षकार है। प्रार्थीगण ने इनको आवेदन में पक्षकार संयोजित नही किया है। विधि अनुसार निर्णित प्रकरण के समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इसके अभाव में अपील इसी स्तर पर खारिज की जाने योग्य है। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील/टी.ए./संख्या 665/2023/सीकर बउनवानी रमाप्रकाश बनाम सुवा देवी विचाराधीन है। जिसमें प्रस्तुत आवेदन के आवेदकगण रेस्पोडेंट संख्या 10 व 13 के रूप में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पोषणीय नही है। अत आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 725 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण पश्चातवर्ती क्रेता है। यह रमाप्रकाश के फुट स्टेप पर आ रहे है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील/टी.ए./संख्या 665/2023/सीकर बउनवानी रमाप्रकाश बनाम सुवा देवी विचाराधीन है। जिसमें प्रस्तुत आवेदन के आवेदकगण रेस्पोडेंट संख्या 10 व 13 के रूप में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पोषणीय नही है। आवेदनकर्ता माननीय मण्डल में चाराजोही कर सकते है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णित अपील में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 से व 11 से 13 तथा 15,16 भी पक्षकार है। प्रार्थीगण ने इनको आवेदन में पक्षकार संयोजित नही किया है। विधि अनुसार निर्णित प्रकरण के समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इस सन्दर्भ में विधिक आपत्ति अप्रार्थी द्वारा करने के पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा शेष पक्षकारों को पक्षकार संयोजित करने की कोई प्रार्थना नही की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन आदेश 41 नियम 20(2) सीपीसी के तहत खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर